

विमुक्ति रिपोर्ट आख्या

सरकार बनाम्—शकील उर्फ कटोरा

एस.एस.टी. नम्बर:— 83/2016

अपराध संख्या—404/2016

धारा—377/511, 363 भा0 द0 सं0

विवेचक—उप—निरीक्षक कौशलेन्द्र कुमार

व धारा 8, 6 सपठित धारा 18 एवं 12 पॉक्सो एक्ट

निर्णय का दिनांक—16.01.2021

थाना— कमालगंज

न्यायालय—विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) फर्रुखाबाद।

अभियोजक— शिवनरेश सिंह

(सहा0 जिला शासकीय अधि0 फौज0)

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी मुकदमा हृदेश कुमार द्वारा दिनांक 20.10.2016 को थानाध्यक्ष कमालगंज को तहरीर प्रदर्श क—2 इस आशय की दी गई कि दिनांक 19.10.2016 को समय करीब 3 बजे मेरा पुत्र (पीड़ित) सब्जी मण्डी कमालगंज गया था, जहाँ पर शकील उर्फ कटोरा मिला। जिसने मेरे लड़के को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल नम्बर यू.पी.74 पी 0275 पर बैठाकर शेखपुर पेट्रोल पम्प के रास्ते ले गया, जहाँ उसने मेरे लड़के के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर अश्लील हरकत की। लड़के के शोर मचाने पर राहगीरो ने जाकर लड़के को घर लेकर आये। मैं अपने लड़के को लेकर आया हूँ। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

विमुक्ति के कारण

1—यह कि घटना का चक्ष्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू—3 उमेश होस्टाइल हो गया। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा गालिब मिया बाग घटना स्थल पर किसी बच्चे की चीख नहीं सुनी एवं न ही मुझे पीड़ित/लड़का मिला था न ही मोटर साइकिल खड़ी देखी एवं न ही मैंने घटना के बारे में सुना। शकील उर्फ कटोरा को नहीं जानता हूँ।

2—पी.डब्ल्यू—4 डा0 मानसिंह द्वारा बताया गया कि पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण किया। पीड़ित शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। घायल/पीड़ित ने अपना आन्तरिक परीक्षण कराने से मना कर दिया था। चिकित्सीय आख्या से पीड़ित के साक्ष्य की सम्पुष्टि नहीं होती है।

3—यह कि वादी पी.डब्ल्यू—2 हृदेश कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 को पीड़ित के बताये अनुसार अभियुक्त शकील उर्फ कटोरा को नामजद करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट वावत गुदा मैथुन का प्रयत्न करने व छेड़छाड़ के सम्बन्ध में लिखाया तथा वादी पी.डब्ल्यू—2 स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

4—यह कि प्रथम सूचना रपट दर्ज होने के चार दिन बाद पीड़ित का व्यान 161 द0प्र0सं0 दिनांक 24.10.2016 को अंकित किया तथा धारा 164 द0प्र0सं0 का व्यान दिनांक 25.10.2016 को अंकित किया तथा पीड़ित द्वारा अभियुक्त का नाम अपने उपरोक्त दोनों व्यानों में नहीं बताया गया मात्र एक लड़के द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठाकर बहला फुसलाकर पेट्रोलपम्प से पहले रास्ते पर बाग मे ले जाना बताया। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद पीड़ित को 161 द0प्र0सं0 व 164 द0प्र0सं0 के व्यान दर्ज होने तक अभियुक्त के नाम की जानकारी नहीं थी, तब वादी पी.डब्ल्यू—2 हृदेश कुमार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद कैसे कराया। इस प्रकार न्यायालय में पीड़ित द्वारा अभियुक्त की पहचान तथा अभियुक्त का अपराध में संलिप्त होने का तथा सदिग्ध माना है।

5—यह कि पीड़ित द्वारा अपने 161 द0प्र0सं0 व 164 द0प्र0सं0 के व्यानों में व मुख्य परीक्षा में किये गये कथनो में गम्भीर विरोधाभाषी व्यान दिया है। 164 द0प्र0सं0 के व्यान मजिस्ट्रेट के सामने सही देना बताया तथा उक्त व्यान को सही होना साबित किया उक्त 164 द0प्र0सं0 व्यान प्रदर्श क—1 में कथन किया कि अभियुक्त उसे मोटर साइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर ले गया, जबकि मुख्य परीक्षा में वहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाना बताया तथा प्रति परीक्षा में बाईक पर जबरदस्ती बैठाकर ले जाना बताया। इस प्रकार पीड़ित ने अपने पूर्ववर्ती व्यान व मुख्य परीक्षा में परस्पर विरोधाभाषी व्यान दिया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त उसे वहला फुसलाकर ले गया या जबरदस्ती ले गया।

6—यह कि पीड़ित ने अपने 161 द0प्र0सं0 व्यान व 164 द0प्र0सं0 व्यान में मात्र यह कथन किया कि अभियुक्त ने मुझसे गन्दी बातें की तथा कहा कि मेरा लिंग खड़ा करके सहलाओ तथा मुँह में लगाओ और अपने पेन्ट उतरो जिस

पर मैंने उसके दो तीन घूसे मारे तथा एकदम शोर मचाकर भागने लगा। जबकि मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा पेन्ट उतारकर प्रकृति विरुद्ध अपराध करने का कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त ने अपनी मुख्य परीक्षा व्यान में इम्प्रूवमेन्ट करते हुए अपने पूर्ववर्ती व्यानों के विपरीत व्यान दिया है। **रामवृक्ष प्रति छत्तीसगढ़ राज्य ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 2381** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि " जहाँ साक्षी ने विवेचक को दिये अपने 161 द0प्र0सं0 के व्यानों के विपरीत न्यायालय में व्यान देते समय अपने व्यानो को संशोधित कर बढ़ा चढ़ाकर व्यान दिया है तो ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार न्यायालय द्वारा यह माना गया है, कि पीड़ित द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया व्यान विश्वसनीय नहीं है तथा उक्त व्यान के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

7—यह कि पीड़ित की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-3 के अनुसार पीड़ित के शरीर पर कोई चोटें या खरोंच का निशान नहीं पाया गया तथा न ही उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट पाई गई। इस प्रकार पीड़ित के व्यान की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से न होने के आधार पर भी मामले को न्यायालय द्वारा संदिग्ध माना गया है।

8—यह कि पीड़ित द्वारा प्रति परीक्षा में यह कथन किया गया कि मेरे चिल्लाने पर गाँव वाले आ गये थे उमेश तथा एक कोई और आ गया था जिसका नाम नहीं जानता हूँ। गाँव वालों ने शकील उर्फ कटोरा को पकड़ लिया था। फोन पर पुलिस आई थी तथा पुलिस मुझे व शकील उर्फ कटोरा को पकड़कर थाने ले गई थी तथा पापा को पुलिस ने फोन किया। पापा आये पापा ने रिपोर्ट लिखायी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन पंजीकृत कराई गई है। इसके अतिरिक्त विवेचक पी.डब्लू.-6 उप-निरीक्षक कौशलेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त शकील उर्फ कटोरा को घटना दिनांक 19.10.2016 के दो दिन बाद 21.10.2016 को शेखपुर पेट्रोल पम्प पर गिरफ्तार करना बताया है। इस प्रकार पीड़ित का घटना वाले दिन अभियुक्त को पकड़ने का कथन न्यायालय द्वारा असत्य माना गया तथा पीड़ित जिस प्रकार घटना घटित होना बता रहा है। उस ढंग से घटना घटित होना न्यायालय द्वारा संदिग्ध माना गया है तथा घटना को स्वभाविक नहीं माना है।

9—यह कि पब्लिक का स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.-3 उमेश द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया तथा घटना देखने व अभियुक्त कटोरा उर्फ शकील को जानने से इन्कार किया है तथा साक्षी पक्षद्रोही हो गया। जिससे अभियुक्त उर्फ कटोरा भी घटना में संलिप्तता साबित नहीं हो पाई।

10—यह कि पीड़ित पी.डब्लू.-1 अपने पिता पी.डब्लू.-2 वादी हृदेश कुमार के साथ दिनांक 20.10.2016 को मुकदमा पंजीकृत कराने थाना जाना जी.डी. कायमी मुकदमा प्रदर्श क-5 से स्पष्ट रूप से साबित है, परन्तु विवेचक द्वारा पीड़ित का व्यान दिनांक 20.10.2016 को अंकित नहीं किया गया तथा चार दिन बाद दिनांक 24.10.2016 को 161 द0प्र0सं0 व्यान पीड़ित का अंकित किया गया। इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण विवेचक द्वारा नहीं दिया गया। इस आधार पर भी पीड़ित का साक्ष्य माननीय न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं माना है।

11—यह कि प्रकरण में घटना स्थल का निरीक्षण विवेचक पी.डब्लू.-6 कौशलेन्द्र कुमार द्वारा वादी पी.डब्लू.-2 हृदेश कुमार की निशानदेही पर किया जाना बताया है, जो कि घटना का प्रत्यक्ष/चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा वादी पी. डब्लू.-2 हृदेश कुमार की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गई है तथा पीड़ित की निशानदेही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 नहीं बनाया गया। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा घटना स्थल भी संदिग्ध माना है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त निर्णय पारित किया गया है।

आक्षेप तथा विरीत टिप्पणी—

यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उस पर आक्षेप व विपरीत टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

अभियोजक की टिप्पणी तथा अपील के सम्बन्ध में राय—

माननीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त निर्णय विधि सम्मत होने के कारण मेरी राय में शासकीय अपील योजित करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। विमुक्ति आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक:— /02/2020

शिवनरेश सिंह

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

संलग्नक— निर्णय की प्रति।